<u>फा.सं.1/16(06)/2017-भ-IV/एसपीसी-II</u>

<u>फा.सं.1/162(21)/2016-भ-IV/एसपीसी- II</u>

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती शाखा

विशेष प्रकोष्ठ-II अनुभाग

विषय : निम्नलिखित पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित संयुक्त भर्ती परीक्षण:-

(i) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय केन्द्रीय में श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) के 33 पद [विज्ञापन सं. 06/2017, प्रकाशन की तारीख 25.03.2017, रिक्ति सं. 17030608425, मद सं. 08, जिसके अंतर्गत भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 13.04.2017 (23.59 बजे तक) थी] तथा

(ii) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में केन्द्रीय श्रम सेवा (समूह क, संगठित सेवा) के कनिष्ठ समयमान (जेटीएस) ग्रेड के तहत सहायक श्रम आयुक्त(केन्द्रीय)/सहायक कल्याण आयुक्त(केन्द्रीय)/ सहायक श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय)/सहायक निदेशक के 35 पद [विज्ञापन सं. 20/2016, प्रकाशन की तारीख 12.11.2016, रिक्ति सं. 16112004412, मद सं. 04, जिसके अंतर्गत भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 01.12.2016 (23.59 बजे तक) थी।]

<u>समय सारणी</u>

<table>
<tr><th>तिथि तथा दिन भारतीय मानक समय</th><th>विषय एवं विषय का कोड</th></tr>
<tr><td><u>25.11.2017- अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक (शनिवार)</u>
निम्नलिखित पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित संयुक्त भर्ती परीक्षण :
(i) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय केन्द्रीय में श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) के 33 पद।
(ii) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सहायक श्रम आयुक्त के 35 पद।</td><td rowspan="2">सामान्य योग्यता परीक्षण (02)</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th>कार्यकलाप का विवरण</th><th>समय</th></tr>
<tr><td>उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा स्थल पर रिपोर्ट करने का समय</td><td>दोपहर 12.30 बजे</td></tr>
<tr><td>प्रवेश पत्र का प्रमाणीकरण और उम्मीदवारों का पंजीकरण</td><td>दोपहर 12.30 बजे से</td></tr>
<tr><td>लैब में उम्मीदवारों को प्रवेश की अनुमति</td><td>दोपहर 12.30 बजे से</td></tr>
<tr><td>मुख्य द्वार पर उम्मीदवारों का प्रवेश बंद होने का समय</td><td>दोपहर बाद 1.15 बजे</td></tr>
<tr><td>पासवर्ड की घोषणा</td><td>दोपहर बाद 1.50 बजे</td></tr>
<tr><td>उम्मीदवार सुरक्षित ब्राउजर को खोलेंगे और अनुदेश पढ़ेंगे</td><td>दोपहर बाद 1.50 बजे से 2.00 बजे</td></tr>
<tr><td>परीक्षण प्रारंभ होने का समय</td><td>अपराह्न 2.00 बजे</td></tr>
<tr><td>परीक्षण समाप्त होने का समय</td><td>अपराह्न 4.00 बजे</td></tr>
<tr><td>उम्मीदवार शांतिपूर्वक बाहर निकलेंगे</td><td>अपराह्न 4.00 बजे से अपराह्न 4.15 बजे तक</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

उम्मीदवारों के प्रवेश संबंधी अनुदेश

- उम्मीदवार प्रवेश द्वार पर पंक्तिबद्ध खड़े होंगे और शांतिपूर्वक प्रवेश करेंगे ।
- प्रवेश करते समय उम्मीदवार मुख्य द्वार पर सुरक्षा कर्मियों को अपना प्रवेश पत्र दिखाएंगे।
- उम्मीदवारों को परीक्षण स्थलों पर प्रवेश करने की अनुमति होगी और दोपहर 12.30 बजे से पंजीकरण प्रारंभ हो जाएगा।
- कंप्यूटर लैब में प्रवेश दोपहर 12.30 बजे प्रारंभ होगा।
- उम्मीदवारों को किसी भी परिस्थिति में दोपहर 1.15 बजे के बाद परीक्षण स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- उम्मीदवारों का पंजीकरण दोपहर बाद 1.30 बजे बंद हो जाएगा।

I. परीक्षण की योजना :

(क) परीक्षण दो घण्टे की अवधि का होगा और अधिकतम अंक 300 होंगे।

(ख) सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे।

(ग) परीक्षण में बहुविकल्पीय प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे।

(घ) परीक्षण अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों ही माध्यम में होगा।

(ङ) गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंकों का प्रावधान होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के कुल अंकों में से एक तिहाई अंक काट लिए जाएंगे। यदि प्रश्न के लिए कोई उत्तर नहीं चुना जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंकन नहीं होगा।

II. परीक्षण का पाठ्यक्रम :

प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा :

1. श्रमिक कल्याण
2. सामाजिक कार्य व सामाजिक सुरक्षा कानून
3. औद्योगिक संबंध
4. मानव संसाधन विकास
5. प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत
6. ट्रेड यूनियन अधिनियम
7. ट्रेड यूनियन आंदोलन
8. श्रम कानून :
    - क. औद्योगिक विवाद निपटान अधिनियम, 1947
    - ख. मजदूरी का भुगतान अधिनियम, 1936
    - ग. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
    - घ. ठेका मजदूरी (नियमन व उन्मूलन) अधिनियम, 1970
    - ङ. बाल श्रम (पी एवं आर) अधिनियम, 1986
    - च. उपदान (ग्रेच्युइटी) भुगतान अधिनियम, 1972
    - छ. भवन एवं अन्य निर्माण मजदूर (आरई एवं सीएस) अधिनियम, 1996
9. समसामयिक घटनाएं
10. भारतीय संविधान
11. सामान्य बौद्धिक योग्यता

महत्वपूर्ण टिप्पणियां:

(क) उम्मीदवार केवल उसी परीक्षण स्थल पर परीक्षण दें, जिसका उल्लेख उनके ई-प्रवेश पत्र में किया गया है। यदि उम्मीदवार किसी और परीक्षण स्थल पर परीक्षण देता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

(ख) लघु सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों को उपर्युक्त पदों हेतु अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज जमा करने के लिए कहा जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी और उक्त पदों हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

(ग) उम्मीदवारों को निदेश दिया जाता है कि वे अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षण दें अर्थात् वे इस बात की पुष्टि कर लें कि वे विज्ञापन में निर्धारित अर्हताओं को पूरा कर रहे हैं और परीक्षण में उनका प्रवेश पूर्णतया "अनंतिम" है।

ह/-
(शैलेश कुमार)
अवर सचिव (एसपीसी-II)
संघ लोक सेवा आयोग

<u>उम्मीदवारों को अनुदेश</u>

कृपया निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। किसी भी अनुदेश के उल्लंघन के कारण उम्मीदवार के विरुद्ध आयोग के विवेकानुसार कार्रवाई की जा सकती है। ***(उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अनुदेशों की यह प्रति संदर्भ के लिए भर्ती परीक्षण हॉल में साथ लाएं)।***

<u>ई-प्रवेश पत्र</u> :

1. ई-प्रवेश पत्र को डाउनलोड करने के तत्काल बाद, उम्मीदवार इसकी ध्यानपूर्वक जांच करें और विसंगतियां, यदि कोई हों, पाए जाने पर उन्हें अविलंब संघ लोक सेवा आयोग के ध्यान में लाएं। परीक्षण के विषय पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। विसंगतियों के मामले में प्रयास किए जाएंगे कि संशोधित ई-प्रवेश पत्र यथाशीघ्र अपलोड कर दिए जाएं। उम्मीदवार ई-प्रवेश पत्र के पृष्ठ सं. 2 पर उल्लिखित महत्वपूर्ण अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के लिए उम्मीदवार अपना ई-प्रवेश पत्र साथ लेकर आएं। जिन उम्मीदवारों के ई-प्रवेश-पत्र पर फोटो स्पष्ट रूप से मुद्रित नहीं है वे भर्ती परीक्षण में प्रवेश करने के लिए परिवचन सहित अपने साथ पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ और अपना फोटो पहचान पत्र का मूल प्रमाण जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र आदि साथ लाएं।
2. ई-प्रवेश-पत्र की सुरक्षा की जिम्मेवारी उम्मीदवार की है। यदि कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के लिए इस ई-प्रवेश-पत्र का इस्तेमाल करता है तब यह प्रमाणित करने का दायित्व उम्मीदवार का होगा कि उसने किसी प्रतिरूपधारक की सेवा नहीं ली है और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी एवं उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
3. उम्मीदवार यह नोट कर लें कि तकनीकी कारणों से ई-प्रवेश पत्र पर उनके नाम का लघु रूप अंकित हो सकता है। इस बारे में आयोग द्वारा किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. उम्मीदवार ई-प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट परीक्षा हॉल में अवश्य लाएं।
5. **उम्मीदवारों को बायोमीट्रिक प्रणाली में अपना पंजीकरण करना अपेक्षित है, जिससे परीक्षण प्रारंभ होने से पूर्व उनकी उपस्थिति दर्ज करने के लिए उनका बायोमीट्रिक डाटा रिकार्ड किया जा सके। अत:, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है वे अपने हाथों/पैरों पर मेहंदी, स्याही आदि जैसे बाहरी पदार्थ न लगाएं।**
6. पंजीकरण के उपरांत उम्मीदवार को लैब संख्या और कंप्यूटर संख्या आबंटित की जाएगी।

नमूना (डेमो)

कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण से परिचित होने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर उपलब्ध कंप्यूटर आधारित परीक्षण के नमूने (डेमो) का अध्ययन करें।

परीक्षण लैब के नियम

- परीक्षण के दौरान किसी भी उम्मीदवार को परीक्षण लैब से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
- किसी भी उम्मीदवार को निरीक्षक की अनुमति के बिना अपनी सीट छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

किस सामान की अनुमति है तथा किसकी नहीं है

- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना नीला अथवा काला पेन तथा अपनी पेंसिल साथ लाएं।
- **जिस परिसर में परीक्षा आयोजित की जा रही है वहां इलेक्ट्रानिक या अन्य किस्म का कैलकुलेटर, लॉग टेबल, स्लाइड रूल, सेलुलर/मोबाइल फोन/ब्लूटूथ अथवा ऐसे किसी अन्य उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी जिनका इस्तेमाल संचार उपकरण के रूप में किया जा सकता है। उपर्युक्त अनुदेशों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उम्मीदवार के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है जिसमें भविष्य के परीक्षणों से प्रतिबंध शामिल है।**
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कीमती/मूल्यवान सामान परीक्षण लैब में न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इस संबंध में हुए नुकसान के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।

परीक्षण के दौरान अनुदेश

- परीक्षण की अवधि 120 मिनट अर्थात् 2 घंटे है ।
- पासवर्ड की घोषणा अपराह्न 1.50 बजे की जाएगी। उम्मीदवार सुरक्षित ब्राउजर खोलेंगे और दोपहर बाद 1.50 बजे से 2.00 बजे तक अनुदेश पढ़ेंगे। हालांकि, उम्मीदवारों को अपराह्न 2.00 बजे से पहले परीक्षण प्रारंभ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, भले ही उन्होंने अनुदेश 2.00 बजे से पहले क्यों न पढ़ लिए हो, क्योंकि समय का सामंजस्य सर्वर के साथ बिठाया गया है। उम्मीदवार को परीक्षण के लॉग-इन पृष्ठ पर यूजर आईडी के रूप में अपना अनुक्रमांक तथा निरीक्षक द्वारा की गई घोषणा के अनुसार पासवर्ड एंटर करना होगा ।

- मांग करने पर उम्मीदवारों को कच्चे कार्य के लिए कागज मुहैया कराया जाएगा ।
- परीक्षण में व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में, उम्मीदवार तत्काल इसकी सूचना निरीक्षक को प्रदान करें। निरीक्षक, परीक्षण में री-लॉगइन करने में उम्मीदवार की मदद करेंगे। इससे परीक्षण वहां से पुन: प्रारंभ हो जाएगा जहां पर रुक गया था।
- सभी प्रश्नों की संख्यात्मक सूची स्क्रीन के दाईं तरफ प्रदर्शित होगी।
- परीक्षण के दौरान "शेष समय" पर ध्यान दें।
- एक बार उत्तर दिए जाने के उपरांत, वह अंतिम होगा। तथापि, परीक्षण के दौरान अंतिम रूप से जमा (फाइनल सबमिशन) किए जाने से पहले कभी भी उत्तर में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसमें 'क्लियर रिस्पांस' बटन के माध्यम से प्रश्न को अनअटेंप्ट (उत्तर नहीं देना) करना भी शामिल है।
- गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंकों का प्रावधान होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के कुल अंकों में से एक तिहाई अंक काट लिए जाएंगे। यदि प्रश्न के लिए कोई उत्तर नहीं चुना जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।
- परीक्षण का समय समाप्त हो जाने के उपरांत आपको उत्तर देने से स्वत: रोक दिया जाएगा और परीक्षण ऑटो-सबमिट (स्वत: जमा) हो जाएगा।
- उम्मीदवार, परीक्षण स्थल पर किसी प्रकार की पुस्तकें, कागज, मोबाइल फोन अथवा कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान न लाएं। संघ लोक सेवा आयोग ऐसे सामान की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
- प्रतिरूपधारण (धोखेबाजी के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति की पहचान अपनाना) वर्जित है।
- उम्मीदवार किसी भी कारण से अन्य उम्मीदवारों से न तो बात करेंगे और न ही किसी भी प्रकार का संवाद करेंगे। ऐसे संवाद को परीक्षण विनियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
- परीक्षण स्थल पर यदि किसी उम्मीदवार के पास अनधिकृत सामग्री पाई जाती है तो उसे परीक्षण विनियमों का उल्लंघन माना जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षण विनियमों का उल्लंघन करता है तो यह माना जाएगा कि उसने अनुचित माध्यम का प्रयोग किया है। यदि कोई उम्मीदवार अनुचित माध्यम अपनाता है तो उसे इस परीक्षण तथा संघ लोक सेवा आयोग की भावी परीक्षाओं से विवर्जित कर दिया जाएगा और/या उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
- परीक्षण पूरा होने के उपरांत उम्मीदवार अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे और बातचीत नहीं करेंगे।
- परीक्षण के लिए आबंटित समय पूरा होने से पहले किसी भी उम्मीदवार को परीक्षण लैब से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
- किसी भी उम्मीदवार को परीक्षण के अंतिम 30 मिनट के दौरान शौचालय जाने की अनुमति नहीं होगी ।

- उम्मीदवार सभी अनुदेशों तथा परीक्षण के पर्यवेक्षक/ निरीक्षक द्वारा दिए जाने वाले अन्य ऐसे अनुदेशों का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे। यदि कोई उम्मीदवार उपर्युक्त अनुदेशों का पालन नहीं करता है अथवा अव्यवस्था उत्पन्न करता है अथवा अनुचित आचरण करता है तब उसे परीक्षण से निष्कासित किया जा सकता है तथा/अथवा आयोग अपने विवेकानुसार कोई अन्य उपयुक्त दंड दे सकता है।
- उम्मीदवार, परीक्षण लैब में निरीक्षक/सहायक पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षक/अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर यथापेक्षित आवश्यक तथा सटीक सूचना प्रस्तुत करेगा।

<u>सामान्य</u>

- **उम्मीदवार यह नोट करें कि परीक्षण में उनका प्रवेश पूर्णतया “अनंतिम” है।**
- उम्मीदवार को मात्र ई-प्रवेश पत्र जारी करने का यह मतलब नहीं है कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा मान ली गयी है अथवा आवेदक द्वारा परीक्षण हेतु उसके आवेदन प्रपत्र में दर्ज की गयी प्रविष्टियां आयोग द्वारा सच्ची और सही रूप में स्वीकार कर ली गई हैं।
- उम्मीदवार यह नोट करें कि आयोग मूल दस्तावेज से केवल उन उम्मीदवारों की पात्रता संबंधी शर्तों अर्थात् आयु, शैक्षिक योग्यता, समुदाय आदि का सत्यापन करता है जो भर्ती परीक्षण में अर्हक होते हैं। जब तक आयोग द्वारा उम्मीदवार की उम्मीदवारी की औपचारिक रूप से पुष्टि नहीं कर दी जाती है तब तक उसकी उम्मीदवारी “अनंतिम” बनी रहती है।
- उम्मीदवार यह भी नोट करें कि ई-प्रवेश पत्र जारी करने के पश्चात किसी भी चरण अथवा परीक्षण के पहले या बाद में किसी अपात्रता का पता चलता है या विज्ञापन में दी गई नियमावली और अनुदेशों में निर्धारित शर्तों या मांगी गई अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेजों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनुपालन नहीं किया जाता है तो उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।
- यात्रा संबंधी खर्च या अन्य प्रकार के व्यय का वहन उम्मीदवार स्वयं करेंगे।
- आयोग किसी उम्मीदवार के रहने और ठहरने का इंतजाम नहीं करता है ।

मोबाइल फोन/ब्लूटूथ उपकरण तथा इस प्रकार के आईटी गैजेट्स परीक्षण स्थल पर प्रतिबंधित हैं।

****

<u>शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश</u>

(i) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में केन्द्रीय श्रम सेवा (समूह क, संगठित सेवा) के कनिष्ठ समयमान (जेटीएस) ग्रेड के तहत सहायक श्रम आयुक्त(केन्द्रीय)/सहायक कल्याण आयुक्त(केन्द्रीय)/ सहायक श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय)/सहायक निदेशक के पैंतीस (35) पदों में से एक (01) पद शारीरिक विकलांगता वाले उम्मीदवारों अर्थात् अस्थि विकलांग/चलने में असमर्थ/ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात एक पांव प्रभावित(दायां अथवा बायां)**(ओएल)** अथवा एक हाथ प्रभावित (दायां अथवा बायां) **(ओए)** अथवा मांसपेशीय दुर्बलता व सीमित शारीरिक शक्ति **(एमडब्ल्यू)** के लिए आरक्षित है। ये पद शारीरिक विकलांगता वाले उम्मीदवारों अर्थात् अस्थि विकलांग/चलने में असमर्थ/ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात एक पांव प्रभावित(दायां अथवा बायां)**(ओएल)** अथवा एक हाथ प्रभावित (दायां अथवा बायां) **(ओए)** अथवा मांसपेशीय दुर्बलता व सीमित शारीरिक शक्ति **(एमडब्ल्यू)** अथवा आंशिक दृष्टिहीन **(पीबी)** के लिए उपयुक्त हैं।

इस चरण में, उम्मीदवारों को ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्रणाली (ओआरए) में उनके द्वारा प्रदान किए गए विवरण के आधार पर ही कंप्यूटर आधारित संयुक्त भर्ती परीक्षण में प्रवेश प्रदान किया गया है। अत:, जिन उम्मीदवारों ने यह दावा किया है कि वे शारीरिक विकलांग(पीएच) श्रेणी के हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे दिनांक 12.11.2016 को प्रकाशित विज्ञापन सं. 20/2016 के अंतर्गत मद सं. 4 में यथाउल्लिखित शारीरिक विकलांगता श्रेणियों में आते हैं। उम्मीदवार यह अवश्य नोट कर लें कि ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाने के उपरांत किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि वे अर्हता की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

मोबाइल फोन/ ब्लूटूथ उपकरण तथा इस प्रकार के अन्य आईटी गैजेट परीक्षण स्थल पर प्रतिबंधित हैं ।

******

F.1/16(06)/2017-R-IV/SPC-II

F.1/162 (21)/2016-R-IV/SPC-II

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

RECRUITMENT BRANCH

SPECIAL CELL-II SECTION

Subject: Combined Computer Based Recruitment Test for Recruitment to - :

(i) Recruitment to 33 posts of Labour Enforcement Officer (Central) in the office of the Chief Labour Commissioner Central, Ministry of Labour and Employment. [Advertisement No 06/2017, Vacancy No. 17030608425, Item No. 08 published on 25.03.2017 with the closing date of submission of Online Application being 23:59 hrs on 13.04.2017] and

(ii) Recruitment to 35 posts of Junior Time Scale (JTS) Grade of Central Labour Service (Group 'A', Organized Service) consisting of the posts of Assistant Labour Commissioner (Central)/ Assistant Welfare Commissioner (Central)/ Assistant Labour Welfare Commissioner (Central)/ Assistant Director, Ministry of Labour and Employment. [Advertisement No. 20/2016, Vacancy No. 16112004412, Item No. 04 published on 12.11.2016 with the closing date of submission of Online Application being 23:59 hrs on 01.12.2016],

TIME TABLE

<table>
<tr><th>DATE & DAY INDIAN STANDARD TIME</th><th>SUBJECT & SUBJECT CODE</th></tr>
<tr><td>25.11.2017 from 02.00 P.M to 04.00 P.M (Saturday)

Computer Based Recruitment Test for

(i) 33 post of Labour Enforcement Officer in Ministry of Labour and Employment.

(ii) 35 posts of Assistant Labour Commissioner in Ministry of Labour and Employment.

<table>
<tr><th>Activity Description</th><th>Time</th></tr>
<tr><td>Candidates reporting at the Centre venue</td><td>12.30 P.M</td></tr>
<tr><td>Authenticating the ADMIT CARD and registering the candidates</td><td>12.30 P.M onwards</td></tr>
<tr><td>Candidates will be allowed inside the Lab from</td><td>12.30 P.M onwards</td></tr>
</table>
</td><td>GENERAL ABILITY TEST (02)</td></tr>
</table>

Candidates Entry closes at Main ENTRANCE	**01.15 P.M**
PASSWORD Announcement	**01.50 P.M**
Candidates will open the secure browser & read instructions	**01.50 P.M to 02.00 P.M**
TEST START TIME	**02.00 P.M**
TEST END TIME	**04.00 P.M**
Candidates to move out in an orderly manner	**04.00 – 04.15 P.M**

Candidates' Entry Instructions

- Candidates must queue outside the entry gate and enter in an orderly manner.
- While entering, the candidates must show their Admit Cards to the security at the Main Gate.
- Candidates are allowed to enter the Test Venues and registration would start from 12.30 P.M. onwards.
- Entry to Computer Labs starts at 12.30 P.M.
- Candidate's entry shall NOT be allowed into the test venue after 01.15 P.M, under any circumstances.
- The candidates registration closes at 01.30 P.M.

I. **Scheme of the Test**:

(a) The test will be of two hours duration and will carry a maximum of 300 marks.

(b) All questions will carry equal marks.

(c) The test will be objective type with multiple choices of answers.

(d) The medium of the test will be English & Hindi.

(e) There will be penalty for wrong answers. Every wrong answer will carry a deduction of one-third of the marks assigned to that question. If no answer is marked for a question, there will be no penalty for that question.

II. **Syllabus of the Test**:

The syllabus of the Test will broadly comprise the following topics:

1. Labour Welfare.
2. Social Work and Social Security Laws.
3. Industrial Relations.
4. Human Resource development.

5. Principles of Natural Justice.
6. Trade Union Act.
7. Trade Union Movement.
8. Labour Laws.
    a. Industrial Disputes Act, 1947.
    b. Payment of Wages Act, 1936.
    c. Minimum Wages Act, 1948.
    d. Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970.
    e. Child Labour (P & R) Act, 1986.
    f. Payment of Gratuity Act, 1972.
    g. Building & Other Construction Workers (RE & CS) Act, 1996.
9. Current Events.
10. Constitution of India.
11. General Mental Ability.

<u>IMPORTANT NOTES</u>:

(A) The candidate must take the test at the test venue indicated in the e-admit card only. If the candidate appears at any other test venue, his/her candidature is liable to be cancelled.

(b) Shortlisted candidates would be asked to submit the documents in support of their claim for the posts. Their documents will be scrutinized and those candidates who fulfil all the eligibility conditions of the posts shall be called for interview.

(c) The candidates are directed to undertake the recruitment test at their own risk i.e. after verifying that they fulfil the qualifications as prescribed in the advertisement, and their admission to the test is purely 'provisional'.

Sd/-
(Shailesh Kumar)
UNDER SECRETARY (SPC-II)
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

PLEASE READ CAREFULLY THE FOLLOWING INSTRUCTIONS. VIOLATIONS OF ANY INSTRUCTION WILL RENDER THE CANDIDATE LIABLE TO SUCH ACTION AS THE COMMISSION MAY DEEM FIT TO TAKE. ***(THE CANDIDATES ARE ADVISED TO BRING THIS COPY OF INSTRUCTIONS TO THE RECRUITMENT TEST HALL FOR REFERENCE)***.

e-ADMIT CARD:

1. Immediately on downloading of the e-Admit Card, the candidate should check it very carefully and bring to the notice of the Union Public Service Commission the discrepancies, if any, without loss of time. Special attention may be paid to the subject of the Test. Efforts will be made to upload the revised e-Admit Card(s) at the earliest in case of discrepancies. He/she must read carefully the Important Instructions mentioned on page No. 2 of e-Admit Card. He/she must bring his/her e-Admit Card to the Examination Hall to secure Admission. The candidates who do not have clear photographs on the e-admit card will have to bring two passport size photographs for appearing in the Recruitment Test with an undertaking alongwith original photo identity proof such as Aadhar Card, Driving Licence, Passport, Voter ID etc.

2. The candidate is responsible for the safe custody of the e-Admit Card. In the event of one's e-Admit Card being used by any other person for securing admission to the Test, the onus lies on the candidate to prove that he/she has not secured the service of an impersonator and the candidature will be cancelled and he/she will be liable for disciplinary action.

3. The candidate should note that the name in the e-Admit Card might have been abbreviated due to technical reasons. No correspondence in this regard will be entertained by the Commission.

4. The candidate must bring the Printout of e-Admit Card to the Examination Hall.

5. **The candidates are required to register themselves on Biometric System to capture their Biometric Data for attendance before commencement of the test; therefore, they are advised not to apply any external matters like Mehandi, Ink etc. on their Hands/Feet.**

6. After registration, the candidate would be allocated Lab Number and Computer Number.

DEMO

In order to familiarize themselves with Computer Based Test, the candidates are advised to go through the demo of the Computer Based Test which will be made available on the UPSC website **www.upsc.gov.in.**

TEST LAB RULES

- No candidate will be allowed to leave the Test Lab during the Test.
- No candidate is allowed to leave his/her seat without permission of the invigilator.

ITEMS ALLOWED AND NOT ALLOWED

- The candidates are advised to bring their own pencil and pen containing blue or black ink.
- ELECTRONIC OR ANY OTHER TYPE OF CALCULATORS, LOG TABLES, SLIDE RULES, CELLULAR/MOBILE PHONES/BLUETOOTH OR ANY OTHER EQUIPMENT CAPABLE OF BEING USED AS A COMMUNICATION DEVICE ARE NOT ALLOWED INSIDE THE PREMISES WHERE THE TEST IS BEING CONDUCTED. ANY INFRINGEMENT OF THE ABOVE INSTRUCTIONS SHALL ENTAIL DISCIPLINARY ACTION WHICH MAY INCLUDE BAN FROM FUTURE TESTS/EXAMINATIONS.
- Candidates are advised not to bring any valuables/costly items to the Test Lab, as safe keeping of the same cannot be assured. The Commission will not be responsible for any loss in this regard.

INSTRUCTIONS DURING THE TEST

- Duration of the Test is 120 minutes i.e. 2 hours.
- Password will be announced at 01.50 P.M. Candidates will open the secure browser & read instructions from 01.50 P.M to 02.00 P.M. However, candidate will not be allowed to start their Test before 02.00 P.M even if they read instructions before 02.00 P.M as the time is synchronized with Server. Candidates will have to enter their roll number as user ID and password announced by the invigilator in the Test log-in page.
- Rough worksheets will be provided to the candidates on demand.
- In the event of the Test being disrupted, the candidate should immediately inform the invigilator. The invigilator will help the candidate to re-login to the test. This will start the exam from where it had stopped.
- Numbered list of all questions will appear at the right side of the screen.
- Keep a close watch on “Time Left” while appearing for the test.
- Question once attempted, it would be final. However, answer can be changed at any time during the Test before final submission including unattempting the question using ‘Clear Response’ button.
- There will be penalty for wrong answers. Every wrong answer will carry a deduction of one-third of the marks assigned to that question. If no answer is marked for a question, there will be no penalty for that question.
- You will be automatically stopped from answering questions when the time of test is over and the test will auto-submit.
- Candidates should not carry any books, paper, mobile phone or any other electronic item to the test venue. UPSC will not be responsible for the safekeeping of such item.
- Impersonation (to assume the identity of another with intent to deceive) is forbidden.
- Candidates must not, on any pretext whatsoever speak to or have any communication with any other Candidates; such communication will be regarded as a breach of the Test regulations.
- Candidates in the Test venue, who is found to have unauthorized materials in his/her possession, shall be deemed to have indulged in breach of the test regulations. Any breach of test regulations shall be considered to constitute unfair practice. In case any candidate is

found to be indulging in unfair practice, he/she will be liable to be debarred from this and future Tests/Exams of UPSC and/or disciplinary action.

- At the conclusion of the test, candidates must remain quietly seated and must not communicate with one another.
- No candidate shall be permitted to leave Test Lab till expiry of the allotted time.
- No candidate shall be allowed to go to the toilet during the last 30 minutes of the Test.
- The candidate must abide by the instructions and such further instructions as may be given by Supervisor/Invigilator of the Test. If the candidate fails to do so or indulges in disorderly or improper conduct, he/she will render himself/herself liable to expulsion from the Test and/or such other punishment as the Commission may deem fit to impose.
- The candidate will furnish such necessary and correct information as may be required from him/her in the Test Lab by the Invigilator/Assistant Supervisor/Supervisor/other persons so authorized.

<u>GENERAL</u>

- **The candidate must note that his/her admission to the Test is strictly "Provisional".**
- The mere fact that an e-Admit Card has been issued to him/her does not imply that the candidature has been finally cleared by the Commission or that the entries made by the candidate in his/her application for the Test have been accepted by the Commission as true and correct.
- The candidate must note that the Commission take up the verification of eligibility conditions i.e. age, educational qualifications, community etc. with reference to original documents only of those candidates who qualify in the Recruitment Test. Unless the candidature is formally confirmed by the Commission, it continues to be "Provisional".
- The candidate must also note that if subsequent to the issue of e-Admit Card, ineligibility is detected at any stage before or after the Test or if the conditions prescribed in the Rules and Instructions given in the advertisement or any other additional information/documents called for at any stage are not complied with within the time specified therein, the candidature would be rejected.
- Travelling and other expenses must be borne by the candidate himself/ herself.
- The Commission does not make arrangements for boarding and lodging of any candidate.
-

Mobile Phones/Bluetooth devices and such IT Gadgets are banned in the test venue

****

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR PH CANDIDATES:

(i) Of the Thirty Five (35) posts of Junior Time Scale (JTS) Grade of Central Labour Service (Group 'A', Organized Service) consisting of the posts of Assistant Labour Commissioner (Central)/ Assistant Welfare Commissioner (Central)/ Assistant Labour Welfare Commissioner (Central)/ Assistant Director, Ministry of Labour and Employment, One (01) post is reserved for Physically Challenged Persons with disability viz. Orthopaedically Handicapped/ Locomotor Disability/ Cerebral Palsy with One Leg Affected (Right or Left) **(OL) or** One Arm Affected (Right or Left) **(OA) or** Muscular Weakness and limited physical endurance **(MW).** The posts are also suitable for Physically Challenged Persons with disability viz. Orthopaedically Handicapped/ Locomotor Disability/ Cerebral Palsy with One Leg Affected (Right or Left) **(OL) or** One Arm Affected (Right or Left) **(OA) or** Muscular Weakness and limited physical endurance **(MW) or** Partially Blind **(PB).**

At this stage, candidates are being admitted to the Combined Computer based Recruitment Test based on the data furnished by the candidates in the Online Recruitment Application (ORA) system. All the candidates, who have claimed themselves as PH candidates, are, therefore, advised to make themselves sure that they belong to the PH categories as mentioned in the Advertisement No. 20/2016 published on 12.11.2016, Item No. 04. The candidates must note that if subsequent to the issue of e-Admit Card, ineligibility is detected at any stage, the candidature would be rejected.

Mobile Phones/Bluetooth devices and such IT Gadgets are banned in the test venue

****